

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—अखण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1972/भाद्र 10, 1894

No. 392]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972 BHADRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 1st September 1972

S.O. 571(E)/72.—In exercise of the powers conferred by section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 421(E)/18AA/IDRA/72, dated the 12th June, 1972, namely:—

In the opening paragraph of the said Order, for item (1), the following item shall be substituted, namely:—

- “(i) that the industrial undertaking known as Sri Mahalaxmi Cotton Mills, Palta has been closed for a period of not less than three months, and”.

[No. F. 3/11/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1972

का० आ० 571(अ)/72.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश नं० का० आ० 421 (अ)/18 क क/आई०डी० आर० ए०/72 तारीख 12 जन, 1972 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के प्रारम्भिक परा में, मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(i) कि श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, पलटा नामक औद्योगिक उपक्रम तीन महीने से अन्यून समय से बन्द पड़ा है, और।”

[सं० फा० 3/11/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।